न्यायालय श्रीमान माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

R. 5047-दो/16

Rs. 20/-

1- छोटेलाल यादव तथा स्व0 भगवानदीन यादव
2- श्रीनिवास यादव
3- रामसखा यादव
4- रामलाल यादव

चारों के पिता भगवानदीन यादव

5- बेबा मुन्नी यादव पत्नी स्व0 भगवानदीन यादव सभी निवासी ग्राम पुतरी तहसील- हुजूर जिलारीवा म0प्र0 === निगरानीकर्तागण

बनाम

रामाधार यादव तथा श्री रतन यादव निवासी ग्राम पुतरी तहसील हुजूर जिलारीवा (म0प्र0) ==== गैरनिगरानीकर्ता

श्री. [illegible] एड. द्वारा आज दिनांक 03-02-16 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर टू [illegible]
सर्किट कोर्ट रीवा।

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार तहसील हुजूर जिलारीवा के प्रकरण क्र0 5अ-12/2015-2016 निर्णय दिनांक- 21-1-2016

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959 ई0

माननीय,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1- यहकि भूमि खसरा क्रमांक- 78, 79, 80, 88/1, [illegible] आवेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य की आराजी है जिसमें आवेदकगणों का मकान एवं कुप निर्मित है। वे एवं उनके पूर्व से आवेदकगण उसी मकान पर आबाद है। अनावेदक की ओर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5047–दो/16 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री अरूण कुमार साहू उपस्थित। । उनके द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा का प्रकरण कमांक 05/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 21.1.2016 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि भूमि खसरा कमांक 78, 79, 80, एवं 88/1 आवेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य की आराजी हे जिसमें आवेदकगण उसी मकान पर आवाद है। अनावेदक की आराजी 87/1 रकवा 0.352 है0 है जिसके सीमांकन का आवेदन पत्र तहसील न्यायालय हुजूर जिला रीवा के यहां प्रस्तुत किया गया था जिसका सीमांकन दिनांक 6.12.14 को ई0टी0एस0 मशीन द्वारा किया गया था जो सीमांकन की कार्यवाही त्रुटिपूर्ण तरीके से की गई थी एवं उस सीमांकन में आवेदक का मकान एवं कुआ अनावेदक के आराजी में नाप दिया गया था। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि सर्वे कमांक 87/2 का	

कोई आवेदन सीमांकन के लिये नहीं दिया गया था और शासकीय फीस भी जमा नहीं कराई गई थी। ई0टी0एस0 मशीन द्वारा कराया गया सीमांकन की जानकारी आवेदकगण को नहीं थी। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर दिनांक 21.1.16 की सीमांकन का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3— मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि सूचना पत्र में दिनांक 6.12.14 की जानकारी आवेदकगण की थी और उनके द्वारा हस्ताक्षर भी किये गये है तथा आपत्ति प्रस्तुत करने पर उसका निराकरण भी किया गया है जिससे से स्पष्ट है कि आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्क में ऐसा कोई बल नहीं मिलता है जिससे आवेदक की निगरानी स्वीकार की जा सके। अतः आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से अग्राह की जाती है तथा तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा का प्रकरण कमांक 05/अ—12/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 21.1.2016 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे।

सदस्य